न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 65/2017

अनवान :-

केसर पुत्री रामदत पत्नी जयसिंह पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी किराड़ाड़ा तहसील भादरा हाल आबाद भट्टु तहसील जिला फतेहाबाद हरियाणा।

- प्रार्थीया

बनाम

1. बलवानसिंह पुत्र जेठुराम जाति खाती निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
2. रमेश पुत्र रामकिशन जाति जाट पुनिया निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. भंवरी पुत्री रामदज पत्नी चरतसिंह पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी माचरा मौहल्ला गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल के पास भट्टु तहसील फतेहाबाद।
4. शान्ति पत्नी हेतराम सेवदा पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
5. लिछमा पत्नी विजयसिंह पुत्र जालु जाति जाट डेजू निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. सन्तोष पत्नी प्यारेलाल पुत्र मेघाराम जाट निवासी माचरा मौहल्ला गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल के पास भट्टु।
7. रूकमा पत्नी पूर्णसिंह पुत्र रामदत जाति जाट निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
8. रामसिंह पुत्र पूर्णसिंह पुत्र रामदत जाति जाट निवासी किराड़ाबड़ा तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

-अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : **प्रार्थीया**

वकील श्री विरेन्द्र बैनीवाल : अप्रार्थी सं. 2,3

वकील श्री लीलाधर अग्रवाल: अप्रार्थी सं. 5

निर्णय **दिनांक :** 4.1.19

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रौही मौजा किराड़ाबड़ा के खाता संख्या 26/27 के खसरा सं. 484 की 5.640 हैक्टर, खसरा सं. 490 की 9.978 हैक्टर कुल 15.618 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में स्थित है जिसमें वादीया का 2/9 हिस्सा, प्रतिवादी रामजीलाल, शान्तिदेवी, लिछमा, भंवरी, सन्तोष का संयुक्त रूप से 5/9 हिस्सा, प्रतिवादीया रूकमा, रामसिंह का 1/9 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी बलवान

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनु.)

1/9 हिस्सा के खातेदार कास्तकार दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादीया एवं प्रतिवादी सं. 3 से 8 एक ही परिवार के सदस्य है एवं वादीया की बहन ननीदेवी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिए बैयनामा प्रतिवादी बलवानसिंह को बेचान कर दिया है व प्रतिवादी सं. 3 भंवरीदेवी ने बिना खाता विभाजन कराऐ अपने हिस्से की कृषि भूमि एक ईकरारनामा दिनांक 7.01.2017 को प्रतिवादी रमेश के पक्ष में तहरीर करवाकर तस्दीक नोटेरी पब्लिक करवा दिया है। नोटेरी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है।

गैरसायला ननीदेवी ने पूर्व में बिना खाता विभाजन कराऐ अपना हिस्सा गैरसायल बलवानसिंह को बेचान कर दिया जिससे उत्साहित होकर गैरसायल बलवानसिंह भी अपनी इच्छा अनुसार जोर जबरदस्ती बिना विभाजन कराऐ ताकत व हिंसा के बल पर जबरिया भंवरीदेवी भी बिना खाता विभाजन कराऐ अपना हिस्सा प्रतिवादी रमेश को बेचान कर स्पेसिफिक बढिया किस्म की भूमि पर ताकत व हिंसा के बल पर प्रतिवादी रमेश को काबिज बनाने पर आमदा है। वादीया औरतजात है एवं पर्दानशीन महिला है और अपनी ससुराल हरियाणा में आबाद है। सभी प्रतिवादीगण ने आपस में साज बाज कर रखी है जो षड़यन्त्र पूर्वक वादीया पर अनुचित दबाव डालते हुवे वादीया की भूमि हड़पने की फिराक में है जिसके लिए प्रतिवादीगण ऐलानिया धमकी दे रहे है।

प्रतिवादीगण को ऐसा कोई हक व अधिकार नही है कि वे संयुक्त वादगत कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन कराऐ प्रतिवादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि बेचान कर किसी अजनबी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती विधिक प्रक्रिया के अन्यथा अच्छे किस्म की भूमि पर स्पेसिफिक भूमि का कब्जा सम्भलाऐ।

पक्षकारान दावा वाद भूमि को संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते आ रहे है ऐसी सुरत में यदि गैरसायलान अपनी मंशा में कामयाब हो जाते है तो सायला को ना पुरा होने वाली क्षति होगी। अतः सायला गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने की मजाज कूननी है कि गैरसायलान रौही मौजा किराड़ाबड़ा के खाता संख्या 26/27 के खसरा सं. 484 की 5.640 हैक्टर, खसरा सं. 490 की 9.978 हैक्टर कुल 15.618 हैक्टर मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन कराऐ बिना रहन बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल या हस्तान्तरित नही करे एव ना ही किसी अजनबी व्यक्ति को स्पेसिफिक किलेजात का कब्जा सम्भालाऐ एवं वाद भूमि में किसी प्रकार का निर्माण आदि कर भूमि की वर्तमान स्थिति परिवर्तित नही करे गैरसायलान वादभूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्राथीगण सं0 1, 4, 6, 7 बाद तामील उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा अप्रार्थी सं. 9 को जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि "दरख्वास्त की मद सं. 4 में नन्नीदेवी द्वारा अपना हिस्सा बेचान करना स्वीकार है लेकिन प्रतिवादी सं. 3 भंवरी देवी द्वारा इकरारनामा करवाया जाना इन्कार है भंवरी देवी अपने कोई कृषि भूमि विक्रय नही कर रही है। अप्रार्थी सं. 2 रमेश किसी श्रेणी का खातेदार काश्तकार नही है उसके विरूद्ध किसी तरह की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती व कानूनन जायज जरूरत के लिए किसी भी सह खातेदार को अपना

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

हिस्सा विक्रय करने से नही रोका जा सकता है वादीया एवं अन्य प्रतिवादी ने आपस में षड़यंत्र रचकर प्रार्थीया भंवरी देवी से अपने हिस्सा की भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित व बाधा पेश करने के लिए उक्त दावा व दरख्वास्त पेश किए है। इस प्रकार वादीया न्यायालय से स्वच्छ हाथों से नही आई है। इसलिए उसका दावा व दर0 खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी सं. 5 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि "सायल ने अपने दावा व दरख्वास्त में बिना खाता विभाजन करवाये गैरसायल अपने हिस्सा की कृषि भूमि को जोर जबरदस्ती विधिक प्रक्रिया के अन्यथा अच्छे किस्म की भूमि पर स्पेसिफिक भूमि का कब्जा नही सम्भलाये का कथन किया है, लेकिन सायल ने अपने दावा में ना तो खाता विभाजन की रिलिफ मांगी है, ना ही स्पेसिफिक भूमि जो खुद सायल के कब्जा मे है उसका कोई हवाला दिया है। उक्त दरख्वास्त केवल अस्थाई निषेधाज्ञा का है। माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार केवल अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणिय नही होता है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने न्यायिक दृटान्त 2011(2) आर.आर.टी. 1264, 2013(2) आर.आर.टी. 1118,बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर, 2009 उच्च न्यायालय पेज सं. 31463 तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर पेज संख्या 621 से 622 प्रस्तुत की गयी। पत्रवाली पर उपलब्ध दस्तावेजों का एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया यह साबित करने में असफल रही है कि वादभूमि में उसका हक हिस्सा को अप्रार्थीगण कैसे प्रभावित कर रहे है। अप्रार्थीगण वादभूमि में खातेदार काश्तकार है। खातेदारी काश्तकारी में सभी सहखातेदारों को समान अधिकार हासिल होते है। किसी भी खातेदार काश्तकार को अपने हक हिस्सा की भूमि को उपयोग उपभोग करने व अन्तरण करने के विधि सम्मत अधिकार होते है। अप्रार्थीया को विशिष्ट भू–भाग का अंकन कर विक्रय पत्र निष्पादन का अधिकार नही है परन्तु विधि सम्मत प्रक्रिया व विधियो के अधीन खातेदारी अधिकारों के अन्तरण का अधिकार है जिससे रोका जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीया प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रही है एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही है।

अतः दिनांक 28.11.17 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश को अपास्त कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक को 4.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा हनुमानगढ़